

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला शाद बनाम कल्लू वगैरे

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

वाद - धारा 88, 89, 188 राजस्थान कायतकारी अधिनियम

वाद संख्या 215 वर्ष 2024

नम्बर त तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 18.11.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

18/11/24

आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 18.11.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

22/11/24

आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 22.11.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

01/04/25

आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 01.04.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

28/11/24

आज पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वारते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने पेश करें। पत्रावली 28.11.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

31/10/2025

आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता लगाई गई। धार-वार आबाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः याद अदन हाजरी/अदन में नगरित किया जाकर, पत्रावली बाद फिलहाल तलबी नम्बर से काम हाकर दाखिल दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा